राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 125वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 125वीं बैठक दिनांक 27/07/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 124वीं बैठक दिनांक 20/06/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 124वीं बैठक दिनांक 20/06/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। उक्त कार्यवाही विवरण के एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 के प्रकरण क्रमांक 6 – मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323) के पृष्ठ क्रमांक 29 के निर्णय में "Sampling & analysis of reject coal material by Directorate General of Mines (DGM) before disposal / Sale of washery reject coal." के स्थान पर "The Industry shall ensure the sampling & analysis of reject coal material by Director, Geology and Mining (DGM), Chhattisgarh before disposal / Sale of washery reject coal." किये जाने बाबत् परियोजना प्रस्तावक को आशय पत्र जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 406वीं एवं 407वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/05/2022 एवं 10/05/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजनाओं एवं अन्य परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स नयनपुर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न (प्रो.– श्री जगमोहन प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1912)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 251289/2022, दिनांक 13/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल–1.98 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,725.6 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 15,33,150 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   - i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल–1.98 हेक्टेयर, क्षमता–2,725.6 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 15,33,150 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 53/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 15/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
दिनांक 17/03/2017 से 31/12/2017 तक	7,40,000
01/01/2018 से 31/12/2018	8,20,000
01/01/2019 से 31/12/2019	9,40,000
दिनांक 01/01/2020 से 16/03/2020 तक	5,50,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नयनपुर का दिनांक 02/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 72/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1200/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 07/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1200/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 07/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शिनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री जगमोहन प्रसाद अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षो अर्थात् दिनांक 29/08/1998 से 28/08/2018 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 29/08/2018 से 28/08/2028 तक विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 503 श्री रामलाल एवं खसरा क्रमांक 502 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./611 सूरजपुर, दिनांक 22/02/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नयनपुर 930 मीटर, स्कूल ग्राम–नयनपुर 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 मीटर एवं राज्यमार्ग 23.3 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 275 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 25,453 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 23,672 घनमीटर एवं

रिकव्हरेबल रिजर्व 22,488 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 19,745 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 17,065 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 770 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.21 हेक्टेयर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा (FCBTK chimney) स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। FCBTK chimney से जिग–जैग किल्न पद्धति में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 15 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,351	12,40,875
द्वितीय	1,570.4	12,88,688
तृतीय	1,676.4	13,88,363
चतुर्थ	1,880	14,47,313
पंचम	2,034.8	15,33,150

आगामी वर्षों हेतु उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	2,206	12,40,875
सप्तम	2,291	12,88,688
अष्टम	2,468.2	13,88,363
नवम	2,573	14,47,313
दशम	2,725.6	15,33,150

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.33 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 385 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

28	2%	0.56	Following activities at Nearby, Government Primary School **Village- Nayanpur**	
			Installation of motor pump, separate water tank for drinking water along with filter with AMC.	
			Submersible pump	0.15
			Pipe line & Installation	0.10
			02 water tank	0.10
			UV water filter	0.15
			AMC	0.10
			Total	**0.60**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1200/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 07/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नयनपुर) का रकबा 1.98 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नयनपुर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.38 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नयनपुर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न (प्रो.– श्री जगमोहन प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 502 एवं 503 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.98 हेक्टेयर, क्षमता – 2,725 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 15,33,150 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स नयनपुर ब्रिक्स अर्थक्ले

क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न (प्रो.– श्री जगमोहन प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 502 एवं 503 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.98 हेक्टेयर, क्षमता – 2,725 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 15,33,150 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स सिरिसगुड़ा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री देवेश भदौरिया), ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1914)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 71111/2022, दिनांक 14/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 481, 482, एवं 483, कुल क्षेत्रफल–1.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–37,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओंकार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिरिसगुड़ा का दिनांक 29/01/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव इयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 640/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दन्तेवाड़ा, दिनांक 28/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2779/खनिज/ख.लि. 4/36/2011/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 09/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 4.76 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2777/खनिज/ख.लि.4/36/2011/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक

09/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री उत्तम पानीग्राही के नाम पर थी। वर्तमान में लीज श्री देवेश भदौरिया के नाम से है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/07/2003 से 04/07/2013 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 285/खनिज/ख.लि.1/उ.प./2019–20 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2020 द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "पट्टावधि समाप्ति के 1 वर्ष पूर्व नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 07/09/2011 द्वारा उत्खनिपट्टा निरस्त कर दिया गया था। निरस्ती आदेश के विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म में अपील पेश किया गया। अपील क्रमांक 36/2011 पंजीबद्ध कर प्रकरण का निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया, जिसके आधार पर कलेक्टर बस्तर के राजस्व प्रकरण क्र. 07/अ.–67/2012–13 में आदेश पारित दिनांक 19/10/2015 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन निरस्त किया गया।"

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बस्तर सामान्य वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 3710 जगदलपुर, दिनांक 21/10/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरिसगुड़ा 700 मी., स्कूल सिरिसगुड़ा 2 कि.मी. एवं अस्पताल जगदलपुर 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,19,328 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,40,738 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,075.38 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 3,412.29 घनमीटर है। इस ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6.55 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण

नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	25,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	37,500

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु स्त्रोत/माध्यम की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2779/खनिज/ख.लि.4/36/2011/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 09/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 4.76 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सिरिसगुड़ा) का रकबा 1.09 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सिरिसगुड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 5.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस

अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

ix. Project proponent shall submit permission from DGMS for blasting & incorporate the permission in the EIA report.

x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि चूंकि यह एक प्रस्तावित खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2009 का है। अतः ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit Latest NOC from Gram Panchayat for Mining."

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

3. **मेसर्स एस.एम.एस. वाटरग्रेस इनवॉयरोप्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1417ए)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 57429/2020, दिनांक 13/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 71199/2020, दिनांक 18/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजॉर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 18/01/2022 को ऑनलाईन में अपलोड किया गया था, परंतु अपलोडेड फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में तकनीकी समस्या होने के कारण (Due to technical error in uploaded Final EIA Report) आवेदित प्रकरण को ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 02/05/2022 को विथड्रॉल/निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/05/2022 के माध्यम से आवेदित प्रकरण को विथड्रॉल/निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् वापस किया

जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार प्रस्ताव संशोधित फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्परारी परमिट स्टोन क्वारी), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1916)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 251380/2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 299, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–68,318 टन (26,276 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनुपराज सिंह चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हस्तिनापुर का दिनांक 04/07/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1723/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1867/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.83 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1868/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1579/खनिज/अनुज्ञा पत्र/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 11/11/2021 द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.), मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/त.अ./2021/3022 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 29/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हस्तिनापुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–हस्तिनापुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मनेन्द्रगढ़ 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 270 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,12,313 टन (81,659 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 89,779 टन (34,530 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 87,086 टन (33,495 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,315 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है, जिसमें से 9 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,342.5 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	68,318
द्वितीय	21,164

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 830 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1.77	2%	0.24	Following activities at Village - Hastinapur	
			Plantation	1.10
			Total	**1.10**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 52,500 रूपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 32,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा इसके अतिरिक्त स्वेच्छापूर्वक तृतीय वर्ष में रख–रखाव के लिए कुल राशि 25,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत हस्तिनापुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 140, क्षेत्रफल 6.9 हेक्टेयर में से कुछ क्षेत्र में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1867/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.83 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–हस्तिनापुर) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–हस्तिनापुर) को मिलाकर क्षेत्रफल 1.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में

स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्परारी परमिट स्टोन क्वारी) की ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 299 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 68,318 टन (26,276 घनमीटर) प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 87,086 टन से अधिक न हो) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री मोहन पोद्दार (टेम्परारी परमिट स्टोन क्वारी) की ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 299 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता – 68,318 टन (26,276 घनमीटर) प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 87,086 टन से अधिक न हो) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स नांदगांव फर्शी पत्थर माईन (प्रो.– श्रीमती सुष्मिता चन्द्राकर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1924)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 71710/2022, दिनांक 31/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2778 एवं 2779, कुल क्षेत्रफल–0.53 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,540 टन (1,058.4 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आलोक चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 25/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 84/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 05/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 109/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 29/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 8.2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 109/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 29/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 100 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1512/क/उ.प./ख.लि./न.क्र. 95/2020 महासमुंद, दिनांक 11/10/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2974 महासमुंद, दिनांक 29/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 700 मीटर एवं स्कूल ग्राम–नांदगांव 870 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1.5 कि.मी. एवं महानदी 560 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 76,320 टन (31,800 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 25,351 टन (10,563 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 24,844 टन (10,351 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,368 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 733.5 घनमीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए

उपयोग किया जाएगा। ओवर बर्डन की मात्रा 8,068.5 घनमीटर होगा, जिसका उपयोग हॉल रोड एवं रैम्प के रख–रखाव हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,540	षष्टम	2,427
द्वितीय	2,505	सप्तम	2,469
तृतीय	2,469	अष्टम	2,399
चतुर्थ	2,540	नवम	2,505
पंचम	2,505	दशम	2,484

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.31 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 471 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक श्री धीरेन्द्र लोनारे (एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 618261 /2021), श्री हीरेन्द्र साहू (एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 61966/2021) एवं श्री प्रेमनारायण चन्द्राकर (एसआईए /सीजी /एमआईएन /61875 /2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 मार्च, 2021 से 15 जून, 2021 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 109/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 29/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 8.2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) का रकबा 0.53 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) को मिलाकर कुल रकबा 8.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit top soil and over burden managment & incorporate the details in the EIA report.

   iii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for usage of water.

   iv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   v. Project proponent shall submit the photographs of every monitoring station.

   vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

   vii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

   viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

6. **मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, घनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–घनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1446)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57836 / 2020, दिनांक 28 / 10 / 2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57836 / 2020, दिनांक 02 / 02 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 543 / 4, 540 / 5, 543 / 11 एवं 543 / 14, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11 / 02 / 2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रुप में मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली बचाने एवं श्री बुद्धदेव पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस के पत्र दिनांक 07 / 22 / 2021 द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु एकत्रित बेसलाईन डाटा पूर्ण रूप से सत्य होना एवं एकत्रित बेसलाईन डाटा की जवाबदारी लेते हुये शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण सलाहकार (NABET Accredited) को परिर्वतन करने हेतु अनापत्ति संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश को आगामी कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 01/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4131/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1041/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 42 खदानें, क्षेत्रफल 65.359 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1040/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि श्री जितेन्द्र अग्रवाल के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/उ.प./2020/657 रायपुर, दिनांक 19/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4571/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2021 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 17/08/2022) हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा./719 रायपुर, दिनांक 06/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 750 मीटर, स्कूल बंगोली 925 मीटर एवं अस्पताल तिल्दा 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी. एवं खारून नदी 21.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,59,243 टन माईनेबल रिजर्व 5,75,581 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,46,802 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,324 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,289 घनमीटर एवं मोटाई 0.25 मीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 3,077 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग, रॉक ब्रेकर का उपयोग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,993	षष्टम	37,584
द्वितीय	14,989	सप्तम	37,513
तृतीय	38,012	अष्ठम	38,019
चतुर्थ	37,914	नवम	37,691
पंचम	37,761	दशम	37,855

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.26 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,524 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 500 मीटर		2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000
खदान के बाउण्ड्री एवं पहुँच मार्ग के दोनों तरफ	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	83,850	7,800	7,800	7,800	7,800
	फेंसिंग हेतु राशि	1,21,950	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200

(1,524 नग) वृक्षारोपण हेतु	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000
रेम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी		5,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000
कुल राशि = 56,53,000		**13,37,000**	**8,39,000**	**8,39,000**	**8,39,000**	**8,39,000**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 15/10/2020 से 31/01/2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	33.98	46.57	60
PM_{10}	68.36	87.5	100
SO_2	10.12	15.73	80
NO_2	19.03	31.54	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	50.8	54.4	75
Night L_{eq}	39.7	43	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 8,312 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.554 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 30 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 8,369 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.558 होगी।

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान के आस–पास प्रतिदिन हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है, जबकि समीप में घनी आबादी क्षेत्र है, जिसकी आवाज आस–पास के ग्राम तक जाती है। इसके कारण पूर्व में गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। शासन के नियमानुसार कंट्रोल ब्लॉस्टिंग होनी चाहिए।

ii. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। क्रशर के कारण प्रदूषण होता है। क्रशर से उत्सर्जित डस्ट को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।

iii. पर्यावरण संरक्षण हेतु केवल 10–20 नग पौधों का ही रोपण कार्य किया जाकर औपचारिकता पूर्ण की जाती है। वृक्षारोपण कर उसके रख–रखाव पर ध्यान दिया जाये एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाये।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। गांव के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये। परियोजना में श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण एवं बीमा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुमति उपरांत नियंत्रित वातावरण में वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग किया जाएगा एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ब्लॉस्टिंग का स्तर सामान्य रहेगा।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा।

iii. लीज क्षेत्र एवं पहुंच मार्गों में सुरक्षा घेरा सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत् वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी एवं उन्हे सुरक्षा उपकरण, बीमा आदि उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 43 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 5.82 कि.मी.		14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,614 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) एवं फेंसिंग हेतु राशि	11,32,800	13,800	13,800	13,800	13,800
	खाद हेतु राशि	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)		1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स		6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000
कुल राशि = 2,59,04,000		**60,76,000**	**49,57,000**	**49,57,000**	**49,57,000**	**49,57,000**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
वृक्षारोपण हेतु	44,000	18,000	18,000	18,000	18,000

इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
कुल राशि = 6,11,000	**1,43,000**	**1,17,000**	**1,17,000**	**1,17,000**	**1,17,000**

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.05	2%	2.01	Following activities	
			Plantation with fencing around PANKHATTI TALAB in Village-Dhansuli & 5 year AMC	5.74
			Total	**5.74**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ आम के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 22,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,50,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,24,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का

विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 248, क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। अतः समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि 5,74,000 रुपये अत्यधिक होने के कारण ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

22. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1041/ख.नि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 42 खदानें, क्षेत्रफल 65.359 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का क्षेत्रफल 2.813 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर क्षेत्रफल 68.172 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर, क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि 5,74,000 रूपये को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर, क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) की जानकारी/दस्तावेज का उल्लेख करते हुये सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने की सूचना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) को खदान के समीपस्थ ग्राम के तालाब के नजदीक शासकीय भूमि में ईको पार्क निर्माण हेतु सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को सूचित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1925)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 71891/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 17.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनोद कुमार गुप्ता, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से माईक्रोन्यूट्रिएंट प्रोडक्ट फॉर एग्रीकल्चर क्राप्स – 15,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, बारबेड वायर – 3,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं मिक्सड फर्टिलाईजर – 5,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/04/2022 तक वैध है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–बिरकोनी 380 मीटर एवं स्कूल ग्राम–बिरकोनी 380 मीटर दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बेलसोण्डा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 300 मीटर दूर है। महानदी 2.85 कि.मी. दूर है।

- तुमगांव आरक्षित वन 6.88 कि.मी. एवं सोरिद संरक्षित वन 8.67 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1564/नग्रानि/135/2005 रायपुर, दिनांक 18/02/2005 द्वारा कार्यालय संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को ग्राम–बिरकोनी में औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास के संबंध में पत्र जारी किया गया।

4. छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के ज्ञापन क्रमांक सीएसआईडीसी/एएलटी/09/8558, दिनांक 08/12/2009 द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने हेतु लेण्ड एलॉटमेंट ऑर्डर जारी किया गया।

5. रॉ–मटेरियल –

S.No.	Name of Raw Materials		Quantity (MTPA)
	Existing Products for Micronutrients		
1.	Acetic Acid		220
2.	Caustic Soda		170
3.	Ethylene Additive		25
4.	Phenolphthalein		50 ml
5.	Hydrochloric Acid		2200
6.	Soda Ash		2500
7.	Zinc Dross		225
8.	Amorphous Silica Powder		4500
9.	Sulphuric Acid		450
10.	Ice		600
	Proposed Products for SSP / TSP		
1.	SSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	560
2.		Sulphuric Acid (con 98%)	360
3.	TSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	50 ml
4.		Phosphoric Acid (con 98%)	2200

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S.No.	Products	Quantity (MTPA)
	Existing Products	
1.	Micronutrient Product (Zinc Sulphate, Mixture of Micronutrients etc.)	15,000
2.	Barbed Wire	3,000
3.	Mixed Fertilizer	5,000
	Proposed Products	
1.	Single Super Phasphate (SSP) / Triple Super Phasphate (TSP)	1,00,000

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रॉक फॉस्फेट (80% P_2O_5 content) को ग्राईनडिंग यूनिट में क्रशिंग उपरांत साईक्लोन में ले जाया जाकर ग्राउण्ड रॉक को फिडर में भेजा जाएगा। फिडर उपरांत रॉक फॉस्फेट को स्क्रीव कन्वेयर, एलीवेटर के माध्यम से पैडल मिक्सर में भेजा जाएगा। साथ ही 98% concentrated H_2SO_4 एवं वॉटर/ H_2SiF_6 को ट्रिपल इफेक्ट ईवेपोरेटर में भेजने उपरांत Dilute H_2SO_4 को पैडल मिक्सर में रॉक

फॉस्फेट के साथ मिक्स (Reaction) कराया जाकर सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाया जाएगा। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनाये जाने हेतु रॉक फॉस्फेट (80% P_2O_5 content) के स्थान पर रॉक फॉस्फेट (46% P_2O_5 content) एवं 98% concentrated H_2SO_4 के स्थान पर 98% concentrated H_3PO_4 तथा बॉयलर का उपयोग किया जाएगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु बॉयलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साईक्लोन एवं डस्ट कलेक्शन के साथ बैग फिल्टर की स्थापना एवं चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर तथा एसएसपी स्क्रबर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेंचुरी स्क्रबर एवं फोर स्टेज स्क्रबिंग सिस्टम एवं चिमनी की ऊंचाई 40 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Name of Waste	Source of Generation	Quantity (After Expansion)	Mode of Treatment & Disposal Method
Discarded Containers / Bags / Liners	Storage & handling of Raw Materials	-	Sold to MoEF/CECB Approved Hazardous Waste Management Facility
Used/Spent Oil	Used/Spent Oil	0.4 KL/Year	
Silica	-	6.72 MTPD	Silica will be used as filler for the SSP
Coal Ash	Boiler	-	Shall be sent to Bricks Manufacturer

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 30 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगी। औद्योगिक दूषित जल हेतु वर्तमान में स्थापित ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) से उपचार किया जाना प्रस्तावित है। प्रक्रिया से जनित सिलिका लिक्वर (Silica liquor) को सिलिका लिक्वर पिट में रखने उपरांत ड्राई सिलिका को फिलर एवं H_2SiF_6 को पुनः एसिड डाल्यूशन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपार्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 4,000 किलोवॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 500 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.41 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the no objection certificate from Gram Panchayat.

iii. Project proponent shall submit compliance report for Consent to operate from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iv. Project proponent shall submit the details of ETP process flow chart along with drawing and design.

v. Project proponent shall submit details of water balance chart & STP flow chart with process and proposal for maintaining zero discharge condition.

vi. Project proponent shall submit details of all the chemical changes involve in the entire process.

vii. Project proponent shall submit the details of material mass balance.

viii. Project proponent shall submit the detailed manufacturing process along with process flow chart.

ix. Project proponent shall submit NOC from CSIDC for usage of water.

x. Project proponent shall submit the land area statement of existing unit and proposed unit.

xi. Project proponent shall submit the layout plan with minimum 40% plantation all along the boundary.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

xiii. Project proponent shall submit the proposal of disposal of Hazardous waste generation as per the SOP issued by CPCB.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xvi. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary and national park/ century.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and shall incorporate the same in the EIA report."

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

8. मेसर्स सुकुलपारा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री गोविंद प्रसाद यादव), ग्राम–सुकुलपारा, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1926)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 71982/2022, दिनांक 05/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सुकुलपारा, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1143, 1137/3, 1136/3, 1137/2, 1136/2, 1136/1 एवं 1137/1, कुल क्षेत्रफल – 1.061 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,007 टन (8,002.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत खरौद का दिनांक 09/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 5258/खनि5/उ.यो. अ./2017 कोरबा, दिनांक 27/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 369/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 01/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.665 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 672/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 01/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1336/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 20/09/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1136/2, 1136/3, 1137/2 एवं 1137/3 श्री अवधेश मिश्रा, खसरा क्रमांक 1136/1 एवं 1137/1 सुश्री मधुप एवं सुश्री प्रिया, खसरा क्रमांक 1143 श्री गंगाराम, श्री गोविंद, श्री गोपाल, श्री रघुवीर, श्री संजय, श्री आनंद कुंवर, सुश्री गोदावरी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./5706 चांपा, दिनांक 14/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 9.17 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सुकुलपारा 480 मीटर एवं स्कूल ग्राम–खरौद 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल शिवरीनारायण 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 275 मीटर दूर है। तालाब 780 मीटर एवं महानदी 620 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 4,47,175 टन (1,78,870 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,01,900 टन (40,760 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 99,862 टन (39,944 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,477 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,030 घनमीटर है, इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा उत्तरी दिशा की तरफ पुराने गड्ढे में भराव हेतु उपयोग किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,090 घनमीटर होगा, जिसका उपयोग हॉल रोड एवं रैम्प के रख–रखाव हेतु तथा शेष ओवर बर्डन (यदि हो तो) को कॉन्सेप्चुअल प्लान के तहत् खदान के भराव (Mine Reclaimation) हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,040 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,045
द्वितीय	14,921
तृतीय	20,007
चतुर्थ	15,068
पंचम	15,045

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.62 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 894 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,477 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 661 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के संकीर्ण क्षेत्र (narrow area) में 973 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 369/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 01/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.665 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सुकुलपारा) का रकबा 1.061 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सुकुलपारा) को मिलाकर कुल रकबा 9.726 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही

किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

v. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

vi. Project proponent shall obtain the permission from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit detail proposal of air pollution control arrangement in crusher.

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से**

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

9. मेसर्स उसरौट सेण्ड माईन (प्रो.– श्री नमोनारायण पटेल), ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1928)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 255551/ 2022, दिनांक 08/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नमोनारायण पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उसरौट का दिनांक 19/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.लि.–3/रेत/2022 रायगढ़, दिनांक 01/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 264/ख.लि.–3/रेत/2022 रायगढ़, दिनांक 01/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 262/ख.लि. –3/रेत/2022 रायगढ़, दिनांक 01/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री नमोनारायण पटेल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 21/ख.लि.–3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 04/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1325/2022 रायगढ़, दिनांक 07/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 9.48 कि.मी. एवं गोमर्डा अभ्यारण्य की सीमा से 49 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उसरौट 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–उसरौट 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है। पुल खदान के डाउनस्ट्रीम में 513 मीटर की दूर में स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 570 मीटर, न्यूनतम 451 मीटर एवं खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 174 मीटर, न्यूनतम 172 मीटर तथा औसतन चौड़ाई – 117 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 112 मीटर, न्यूनतम 71 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.16 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
28.52	2%	0.57	Following activities at nearby Primary School, **Village-Usrout**	
			Potable Drinking Water Facility	0.35
			Running Water Facility for Toilet	0.40
			Total	**0.75**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–उसरौट) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट पर कुल 600 नग पौधे, पहुंच मार्ग पर 200 नग पौधे एवं गांव के महादेव तालाब (खसरा क्रमांक 136, क्षेत्रफल 0.087 हेक्टेयर) पर 200 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,20,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,93,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर / नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स उसरौट सेण्ड माईन (प्रो.– श्री नमोनारायण पटेल), खसरा क्रमांक 01, ग्राम–उसरौट, तहसील व जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27 / 07 / 2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति द्वारा किये गये अनुशंसा को स्वीकार करते हुए बिन्दु क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स रोपवे एण्ड रिसार्टस प्राईवेट लिमिटेड (बाई केबल फिक्स्ड ग्रीप रोपवे सिस्टम), ग्राम–खल्लारी, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1932)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 256548 / 2022, दिनांक 14 / 02 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा इंस्टॉलेशन ऑफ बाईकेबल फिक्स्ड ग्रीप पेसेन्जर रोपवे सिस्टम अंतर्गत ग्राम–खल्लारी, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक – 114, कुल क्षेत्रफल – 0.0771 हेक्टेयर, एलटीपी, यूटीपी, रोपवे कॉरिडोर 771 वर्गमीटर एवं रोपवे सिस्टम 500 टन प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 8 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बिप्लब दास, कार्यकारी निदेशक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1953(अ) दिनांक 27/04/2022 के अनुसार "पर्यावरण सेवाए सहित भौतिक औसंरचना" के अधीन मद 7(छ) और उससे संबंधित प्रविसटियों को लोक किया जाएगा का उल्लेख है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 27/04/2022 के अनुसार "The Ministry vide Notification No. S.O. 1953 (E) dated 27th April 2022, has exempted Aerial Ropeways from the requirement of prior Environment Clearance (EC) under Provisions of EIA Notification, 2006, Subject to certain environment safeguards." का उल्लेख है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1953(अ) दिनांक 27/04/2022 के अनुसार उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। अतः परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1953(अ) दिनांक 27/04/2022 का अक्षशः पालन किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– मोहम्मद असलम मेमन), ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1454)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 57937 / 2020, दिनांक 31 / 10 / 2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57937 / 2020, दिनांक 15 / 02 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 933 / 1, 933 / 2, 933 / 3, 933 / 4, 933 / 5, 964 / 2, 964 / 3 एवं 964 / 4, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–52,000.03 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1909, दिनांक 04 / 02 / 2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् लिपकीय त्रुटि होने के कारण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1065, दिनांक 06 / 08 / 2021 द्वारा टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10 / 05 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु मोहम्मद असलम मेमन, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रुप में मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली चचाने एवं श्री बुद्धदेव पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया था। अपरिहार्य कारणों से मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ के पत्र दिनांक 07 / 10 / 2021 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के द्वारा नैबेट ई.आई.ए. कलसलटेंट परिवर्तन करने हेतु अनापत्ति प्रेषित किया गया है। साथ ही मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु सेम्पल एकत्रित कर अपने संस्था मेसर्स अल्ट्रा टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री गौतम बुद्धा नगर, उत्तरप्रदेश से रिपोर्ट प्राप्त कर ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया गया। मेसर्स इन्वायरमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट की सम्पूर्ण जवाबदारी लेते हुये शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश को आगामी कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण मेसर्स एसिरिज इनवायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत सहसपुर लोहारा का दिनांक 09/11/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1425/खनि/चू./उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/446/ख.लि./खनिज/उ.प./2020 कबीरधाम, दिनांक 08/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 6.62 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/447/ख.लि./खनिज/उ.प./2020 कबीरधाम, दिनांक 08/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर एवं स्कूल 200 मीटर दूर है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 356/ख.लि./खनिज/2020 कबीरधाम, दिनांक 11/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4567/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/08/2021 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 09/08/2022) हेतु वैध है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5 श्रीमती हलीमा बेगम एवं खसरा क्रमांक 964/4 मोहम्मद बसीर मेमन के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। शेष खसरा क्रमांक 964/2 एवं 964/3 आवेदक के नाम पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, स.लोहारा कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्र./तक.अधि./4046 कवर्धा, दिनांक 15/03/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. दूर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सहसपुर लोहारा 410 मीटर, स्कूल ग्राम–सहसपुर लोहारा 200 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–सहसपुर लोहारा 1.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.65 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 520 मीटर दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,72,000 टन, माईनेबल रिजर्व 4,03,312 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,83,146 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,230 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,675 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाएगा एवं रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	23,999	छष्टम	40,541
द्वितीय	25,484	सप्तम	40,719
तृतीय	40,007	अष्टम	39,472
चतुर्थ	41,004	नवम	39,722
पंचम	40,185	दशम	52,000

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 29,790 घनमीटर है, जिसमें से 1,882 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाए। समिति का मत है कि शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र में भण्डारित कर उसका उपयोग वृक्षारोपण / माईन क्लोजर प्लान अनुसार पुनःभराव में उपयोग किया जाएगा।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज सीमा से में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,044 नग एवं पहुँच मार्ग में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 1,544 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 500 मीटर		1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
खदान के बाउण्ड्री एवं पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,544 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	77,200	7,800	7,800	7,800	7,800
	फेंसिंग हेतु राशि	1,27,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000
रेम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी		4,51,000	1,51,000	1,51,000	1,51,000	1,51,000
कुल राशि = 39,27,000		**11,83,000**	**6,86,000**	**6,86,000**	**6,86,000**	**6,86,000**

17. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

18. समिति का मत है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित क्रशर के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाना आवश्यक है।

19. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूम्बर 2020 से 31 जनवरी 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 7 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	36.6	44.91	60

PM_{10}	76.14	84.81	100
SO_2	9.15	13.86	80
NO_2	18.07	23.92	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	50.6	52.2	75
Night L_{eq}	39.1	42.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 112 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.56 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 28 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,150 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.57 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

20. लोक सुनवाई दिनांक 27/10/2021 दोपहर 12:30 बजे स्थान – स्वच्छता मंगल भवन, ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 29/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

21. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। उत्सर्जित डस्ट को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।

ii. वृक्षारोपण कर उसके रख–रखाव पर ध्यान दिया जाये एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाये।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। गांव के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये। परियोजना में श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण एवं बीमा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा। साथ ही खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा।

ii. खदान के चारों तरफ में 1044 नग एवं पहुंच मार्ग में 500 नग वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी एवं उन्हे सुरक्षा उपकरण, बीमा आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

22. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 2.95 कि.मी.		14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,167 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) एवं फेंसिंग हेतु राशि	7,06,150	2,06,150	2,06,150	2,06,150	2,06,150
	खाद हेतु राशि	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	4,12,500	4,12,500	4,12,500	4,12,500	4,12,500
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)		1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प्स फॉर विलेजर्स		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
कुल राशि = 1,48,85,000		**33,77,000**	**28,77,000**	**28,77,000**	**28,77,000**	**28,77,000**

परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता:– कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000
वृक्षारोपण हेतु	1,97,000	1,13,000	1,13,000	1,13,000	1,13,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
हेल्थ चेकअप केम्प्स फॉर विलेजर्स	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
कुल राशि = 24,89,000	**5,65,000**	**4,81,000**	**4,81,000**	**4,81,000**	**4,81,000**

23. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

24. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
97.37	2%	1.95	Following activities at, Government Higher Secondary School **Village- Sahaspur Lohara**	

			Rain Water Harvesting	1.09
			Potable Drinking Water Facility with 5 Year AMC	0.25
			Plantation	0.05
			Total	**1.39**
			Government Primary School **Village- Bandhatola**	
			Rain Water Harvesting	0.58
			Plantation	0.05
			Total	**0.63**
			Grand Total	**2.02**

25. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/446/ख.लि./खनिज/उ.प./2020 कबीरधाम, दिनांक 08/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 6.62 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सहसपुर लोहारा) का क्षेत्रफल 2.18 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सहसपुर लोहारा) को मिलाकर क्षेत्रफल 8.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान क्रियान्वित किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– मोहम्मद असलम मेमन), ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5, 964/2, 964/3 एवं 964/4 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर, क्षमता–52,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– मोहम्मद असलम मेमन), ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5, 964/2, 964/3 एवं 964/4 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर, क्षमता–52,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. बरसाती नाला की तरफ सघन वृक्षारोपण किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **पर्यावरणीय स्वीकृति एवं टी.ओ.आर. में संशोधन/ पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री गिरवर अग्रवाल), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1785)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 67106/2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /269169/2022, दिनांक 23/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 804/1, 804/2, 805, 800/5क, 800/5ख, 806 एवं 807, कुल क्षेत्रफल– 4.007 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1881, दिनांक 15/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टीओआर (लोक सुनवाई सहित) में उत्खनन क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष **के स्थान पर** उत्खनन क्षमता–2,47,950 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉर्म–1, फॉर्म–3 एवं प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना के कार्यकलापों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत मॉडिफाईड क्वारी प्लान में वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना में अधिकतम उत्खनन क्षमता–2,47,950 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्खनन क्षमता–2,47,950 टन प्रतिवर्ष हेतु ही जारी टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** जारी टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "उत्खनन क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष" **के स्थान पर** "उत्खनन क्षमता–2,47,950 टन प्रतिवर्ष" **पढ़ा जाये।**

प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशय बाबत् संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में संशोधन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

2. मेसर्स शंकर खदान कामगार सहकारी समिति (प्रो.– श्री ललित राम निषाद), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1662)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63316/2021, दिनांक 14/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /270332 /2022, दिनांक 29/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/2, कुल क्षेत्रफल–0.44 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,020.25 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 649, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 103, दिनांक 25/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टीओआर (लोक सुनवाई सहित) में कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर **के स्थान पर** कुल क्षेत्रफल–0.44 हेक्टेयर किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉर्म–1 एवं फॉर्म–3 प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित माईनिंग प्लान, लीज डीड एवं अन्य दस्तावेजों में कुल क्षेत्रफल–0.44 हेक्टेयर का उल्लेख होना पाया गया है।
3. परियोजना के कार्यकलापों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
4. पूर्व में जारी टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में लिपकीय त्रुटिवश कुल क्षेत्रफल – 0.44 हेक्टेयर के स्थान पर कुल क्षेत्रफल – 0.24 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** जारी टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर" **के स्थान पर** "कुल क्षेत्रफल–0.44 हेक्टेयर" **पढ़ा जाये।**

प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशय बाबत् संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में संशोधन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

3. **मेसर्स श्री घनश्याम देवांगन (भाठागांव सॉईल/आर्डिनरी क्ले क्वारी), ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1840)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242241/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पुनःविचार किये जाने हेतु दिनांक 25/05/2022 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, कुल क्षेत्रफल – 1.032 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,000 घनमीटर (1,500 टन) प्रतिवर्ष है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 121, दिनांक 29/04/2022 के माध्यम से "लीज क्षेत्र से निकटतम आबादी ग्राम–भाठागांव 100 मीटर की दूरी में स्थित है। उक्त दिशा–निर्देश के आधार पर आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई से 0.8 किलोमीटर क्षेत्र छोड़े जाने की स्थिति में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई में उत्खनन हेतु बहुत कम क्षेत्र अवशेष होना संभावित है। अतः प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।" के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में भूमि अर्जन हेतु निवेश किया गया है। अतः यह प्रस्ताव क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। आवेदन तथा सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 04/12/2021 से 03/03/2022 के बीच विधिवत् में पूरी की गई है, इस बीच पूर्व गठित समिति के कार्यकाल की समाप्ति एवं नवीन समिति की स्थापना में लगने वाले समय में कार्य बाधित रहा। भारत सरकार द्वारा नवीन गाईडलाईन/नियम दिनांक 22/02/2022 को जारी किया गया। अतः भारत सरकार के द्वारा नियम जारी करने के पूर्व ही मेरे प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही की जा चुकी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण के निरस्तीकरण निर्णय को निरस्त करके पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त प्रकरणों में किये जाने वाले अनुशंसा / निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं ऑफिस मेमोरेण्डमों के आधार पर ही किया जाता है।

आवेदित प्रकरण में भी भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना के आधार पर ही निर्णय लिया जाकर डि–लिस्ट/निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण में पुनःविचार किया जाना संभव नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के पुनःविचार किये जाने संबंधी अनुरोध को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 का अवलोकन करें।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी ग्राम–फिंगेश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद

आवेदन – परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/05/2022 को मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अशोक सिंह राजपूत, निवासी ग्राम–फिंगेश्वर, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1,326/2, कुल लीज क्षेत्र 0.4 हेक्टेयर, फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–3032.4 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 718, दिनांक 28/06/2021 द्वारा उक्त क्षमता हेतु मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के संशोधित आदेश क्रमांक 921/ख.नि./न.क्र./2021–22 गरियाबंद, दिनांक 21/02/2022 द्वारा "श्री अशोक सिंह राजपूत" के नाम पर एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
4. क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान का हस्तांतरण श्री अशोक सिंह राजपूत के नाम पर किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** उक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन किये जाने उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1674)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 63490/ 2019, दिनांक 28/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/06/2022 को टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर में स्थित खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल–18.5 हेक्टेयर में स्टील मेल्टिंग शॉप–1 (8 टन गुणा 6 नग) क्षमता–1,05,600 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (12 टन गुणा 4 नग) क्षमता–1,42,560 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल–1 (हॉट चार्जिंग) क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,35,000 टन प्रतिवर्ष, स्टील मेल्टिंग शॉप–2 (15 टन गुणा 6 नग) क्षमता–2,22,750 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग मिल–2 क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष (कोल गैसीफायर आधारित) से बढ़ाकर 2,10,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग) करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना की विनियोग रुपये 230 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।
वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टी.ओ.आर. में स्टील मेल्टिंग शॉप–2 (15 टन गुणा 5 नग) फर्नेस क्षमता–2,22,750 टन प्रतिवर्ष **के स्थान पर** स्टील मेल्टिंग शॉप–2 (15 टन गुणा 6 नग) फर्नेस क्षमता–2,22,750 टन प्रतिवर्ष की स्थापना किये जाने हेतु संशोधन चाहा गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** निर्णय लिया गया कि उक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन किये जाने उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स जोकारी ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभय कुमार सोनी), ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1997)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 257236/2022, दिनांक 18/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया

गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/06/2022 को आवेदित प्रकरण को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/1, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,035 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। अतः आवेदित प्रकरण को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स मधोता लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री तातुदास कश्यप), ग्राम–मधोता, तहसील–बस्तर, जिला–बस्तर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 278202/2022, दिनांक 14/06/2022। श्री शंकर सोढ़ी, निवासी कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स मधोता लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री तातुदास कश्यप), ग्राम–मधोता, तहसील–बस्तर, जिला–बस्तर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–मधोता, तहसील–बस्तर, जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 878, कुल लीज क्षेत्र 2.4 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–12,434 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 86, दिनांक 06/02/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री शंकर सोढ़ी के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के अंतरण आदेश क्रमांक 2919/खनिज/ख.लि.1/उ.प.42/09/2017 जगदलपुर, दिनांक 12/09/2017 द्वारा "श्री शंकर सोढ़ी" के पक्ष में उत्खननपट्टा विस्तारीकरण

की अवधि दिनांक 06/11/2009 से 05/11/2039 तक का अंतरण शेष अवधि के लिए श्री तातुदास कश्यप के नाम पर किया गया है।

4. माईनिंग प्लान को खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 970/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 14/02/2022 द्वारा श्री तातुदास कश्यप के नाम पर अनुमोदन पत्र जारी किया गया है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 687/खनिज/ख.लि.4/उ.प.42/09/2022 जगदलपुर, दिनांक 08/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु श्री शंकर सोढ़ी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री सुरेश कुमार साहू (नमना आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1098)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/135098/2020, दिनांक 04/01/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/07/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2001, दिनांक 23/03/2020 द्वारा ग्राम–नमना, तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 492/2, 493/2, 494, 495, 496, एवं 497, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–9,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1671/खनिज/ई–निविदा–नमना/2022 सूरजपुर, दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में चूना पत्थर खदान के स्थान पर "साधारण पत्थर" किये

जाने एवं उत्खनन क्षमता टन के साथ घनमीटर में भी उल्लेख किये जाने हेतु संशोधन के परिपेक्ष्य में पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** उक्त के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन किये जाने उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क, ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1894)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 248530/ 2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित वर्तमान में खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197 तथा प्रस्तावित खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/34, 193/21(पार्ट), 185/24–25(पार्ट), 193/3, 185/5(पार्ट), 193/36(पार्ट), 193/38, 194, 195 एवं 196(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–9.951 हेक्टेयर से बढ़ाकर 15.229 हेक्टेयर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–49,056.62 वर्गमीटर से बढ़ाकर 70,169.20 वर्गमीटर किया जाना है। परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संकल्प चतुर्वेदी, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

- पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1054, दिनांक 13/11/2019 द्वारा ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197 में क्षेत्रफल – 95,257.78 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 21/12/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्त क्रमांक VII(2) एवं X(7) का आंशिक पालन होना बताया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तों का पालन पूर्ण (परियोजना स्थल के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 250 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य तथा सी.ई.आर. के मद की राशि को व्यय) किया जाना बताया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा क्षेत्रफल – 95,301 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 49,056.62 वर्गमीटर हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 27/10/2020 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 01 वर्ष (**First day of month of commissioning of the unit**) तक है।

- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. परियोजना के क्षमता विस्तार हेतु 8 ओनर्स यथा (1) मेसर्स सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राईवेट लिमिटेड, (2) श्री मनोज कुमार शर्मा, (3) श्री मनीष शर्मा, (4) श्रीमती सरिता देवी शर्मा, (5) श्रीमती रश्मि शर्मा, (6) श्री विनोद शर्मा (7) श्री महेश शर्मा एवं (8) मेसर्स महामाया गृहनिर्माण प्राईवेट लिमिटेड है। उक्त सभी ओनर्स द्वारा शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के दौरान श्री श्याम सुंदर शर्मा ओनर के रूप में थे। वर्तमान में क्षमता विस्तार के तहत् श्री श्याम सुंदर शर्मा को ओनर नहीं होना बताया गया है। इस संबंध में श्री श्याम सुंदर शर्मा द्वारा भी शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान फार्म–1 एवं फार्म–1ए में क्षेत्रफल–9.951 हेक्टेयर का उल्लेख हो जाने के कारण कुल क्षेत्रफल–15.229 हेक्टेयर हो गया है, जबकि

क्षेत्रफल–9.951 हेक्टेयर के स्थान पर क्षेत्रफल–9.531 हेक्टेयर होना चाहिए, जिससे कुल क्षेत्रफल–14.809 हेक्टेयर होगा। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष भूमि संबंधी दस्तावेजो एवं उक्त त्रुटि में संशोधन हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

5. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी डुमरतराई 200 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम नदी खारुन नदी 8.2 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- भूमि खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40 सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्रा.लि., खसरा क्रमांक 185/34, 193/21(पार्ट) श्री मनोज कुमार, खसरा क्रमांक 185/24–25(पार्ट) श्री मनीष शर्मा, खसरा क्रमांक 185/5(पार्ट), 193/3 श्रीमती सरिता देवी शर्मा एंड श्रीमती रश्मि शर्मा, खसरा क्रमांक 193/16(पार्ट) श्री विनोद शर्मा, खसरा क्रमांक 193/38 मेसर्स महामाया गृहनिर्माण प्रा.लि., खसरा क्रमांक 194, 195, 196(पार्ट) श्री महेश शर्मा के नाम पर है।

6. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन लगभग 750 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

7. **एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Particulars	Builtup Area (m^2) as per EC	Builtup Area (m^2) Proposed	Total Area (m^2)
1.	Block - A	5,410.96	-	5,410.96
2.	Block - B	1,486.98	-	1,486.98
3.	Block - B1	6,432.46	-	6,432.46
4.	Block - C	8,179.49	-	8,179.49
5.	Block - D	2,683.24	-	2,683.24
6.	Block - D1	8,587.54	-	8,587.54
7.	Block - E	13,420.01 (Commercial)	-	13,420.01 (Commercial)
8.	Block - F	1,270.06	-	1,270.06
9.	Block - G	354.06	-	354.06
10.	Block - H	1,231.82	21,112.58 (Commercial)	23,344.4
	Total Area	**49,056.62**	**21,112.58**	**70,169.20**

प्रस्तावित उपरांत (Proposed Expansion) –

S. No.	Particulars	Area (m^2) as per EC	Area (m^2) Proposed	Total Area (m^2)
A.	Total land area	95,310	52,781.45	1,48,091.45

B.	Area under road (Raipur - Abhanpur road)	2,052.22	-	2,052.22
C.	Ground coverage	38,355.48	21,112.58	59,468.06
D.	Open area	9,526.56	5,278.14	14,804.70
E.	Road area	34,899.24	23,643.23	58,542.47
F.	Parking area	10,476.50	2,747.50	13,224.00

8. **विकास अनुज्ञा** – अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 12214/नग्रानि/धारा–29/पीएल–83/2021 रायपुर दिनांक 01/10/2021 द्वारा मेसर्स सन एण्ड सन इन्फ्रामेटिक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ओपन मॉल/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु थ्री बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 187.5 किलोग्राम प्रतिदिन एवं हार्टिकलचर अपशिष्ट की मात्रा 0.526 किलोग्राम प्रतिदिन होगी। एकत्रित अपशिष्ठ को अपवहन हेतु रायपुर नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा एवं हार्टिकलचर अपशिष्ट को संग्रहित कर खाद के रूप उपयोग किया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 23.4 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 14.4 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत कुल 29.25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग हेतु 11.25 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल एवं नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी यही व्यवस्था रखी जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी (9.5 घनमीटर प्रतिदिन) से अनुमति ली गई है एवं नगर पालिक निगम, रायपुर को नये नल कनेक्शन करवाने बाबत् आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 25.65 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 35 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत रॉ–सीवेज स्क्रीनिंग, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, ट्यूब सेटलर, स्लज कलेक्शन टैंक, सर्ज टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं फाईनल कलेक्शन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 22.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर उद्यानिकी हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः परियोजना में रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रैन वॉटर हार्वेस्टिंग** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 34,875 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24 नग रिचार्ज पिट (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 5 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना में 2,400 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका का विकास 8,181.88 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 15.5 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बफर जोन 2,449.84 वर्गमीटर क्षेत्र में 9 मीटर की चौड़ाई में अतिरिक्त वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। इस प्रकार कुल 10,631.72 वर्गमीटर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 20.14 प्रतिशत) में वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

14. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों (लॉबी एवं कॉमर्शियल एरिया) पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया गया है। पाथ–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की छत में सोलर पैनल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् कुल लागत राशि 17,00,00,000 रूपये का 1 प्रतिशत राशि 17,00,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित वर्तमान में खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197 तथा प्रस्तावित खसरा क्रमांक

185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/34, 193/21(पार्ट), 185/24–25(पार्ट), 193/3, 185/5(पार्ट), 193/36(पार्ट), 193/38, 194, 195 एवं 196(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–9.531 हेक्टेयर से बढ़ाकर 14.809 हेक्टेयर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–49,056.62 वर्गमीटर से बढ़ाकर 70,169.20 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/06/2022 को संपन्न 123वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि ऑनलाईन आवेदन के दौरान भूमि के क्षेत्रफल में हुये त्रुटि के संबंध में भूमि का निरीक्षण, भूमि का विवरण एवं अन्य वस्तुस्थिति के संबंध में मौके में जाकर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त भूमि के क्षेत्रफल में हुये त्रुटि के संबंध में भूमि का निरीक्षण, भूमि का विवरण एवं अन्य वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने हेतु श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में डॉ. एम.आर. खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान त्रुटिवश फार्म–1 एवं फार्म–1ए में कुल क्षेत्रफल–14.809 हेक्टेयर के स्थान पर कुल क्षेत्रफल–15.229 हेक्टेयर का उल्लेख होने के कारण नवीन आवेदन किया जाना है। अतः आवेदित प्रकरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. एम.आर. खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 24/06/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 27/07/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

मौके पर परियोजना के प्रतिनिधि श्री संकल्प चतुर्वेदी (ऑपरेशन्स मैनेजर) उपस्थित थे। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. **भूमि संबंधी विवरण स्थापित परियोजना के संबंध में** :– मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क (सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) के भूमि खसरा नंबर 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट),

185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197, कुल रकबा – 9.531 हेक्टेयर (95,310 वर्गमीटर) क्षेत्र में कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 49,056.62 वर्गमीटर है। उक्त की पुष्टि संयुक्त संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित ले–ऑउट की प्रति एवं खसरे नंबर की पुष्टि फॉर्म बी–I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. **भूमि संबंधी विवरण प्रस्तावित परियोजना के संबंध में** :– मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क (सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला –रायपुर (छ.ग.) के भूमि खसरा नंबर 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197, कुल रकबा – 9.531 हेक्टेयर से बढ़ाकर 15.229 हेक्टेयर में कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एवं वेयरहाउसिंग परियोजना हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–49,056.62 वर्गमीटर से बढ़ाकर 70,169.20 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में है।

3. प्रस्तावित परियोजना का खसरा नंबर 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/34, 193/21(पार्ट), 185/24–25(पार्ट), 193/3, 185/5(पार्ट), 193/36 (पार्ट), 193/38, 194, 195 एवं 196(पार्ट) तथा कुल क्षेत्रफल – 5.278 हेक्टेयर है, जिसकी पुष्टि संयुक्त संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित ले–ऑउट की प्रति एवं खसरे नंबर की पुष्टि फॉर्म बी–I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

"अतः उपरोक्त दस्तावेजों के अनुसार परियोजना का कुल भूमि क्षेत्रफल – स्थापित 9.531 हेक्टेयर + प्रस्तावित 5.278 हेक्टेयर = कुल 14.809 हेक्टेयर है।"

4. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** :– मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क (सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राईवेट लिमिटेड), को ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला –रायपुर (छ.ग.) के खसरा नंबर 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197, कुल रकबा – 9.531 हेक्टेयर (95,310 वर्गमीटर) क्षेत्र में कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क स्थापित एवं संचालित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 35 के.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। उपचारित घरेलू दूषित जल का उपयोग वृक्षारोपण की

सिंचाई एवं फ्लशिंग हेतु किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु उपरोक्त स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

5. **वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी** :– स्थापित परियोजना के 95,310 वर्गमीटर क्षेत्र के लगभग 14,528.91 वर्गमीटर क्षेत्र में अर्थात् कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 15.57 प्रतिशत भाग में वृक्षारोपण किया गया है, जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट शर्त (12.36 प्रतिशत) से अधिक है। प्रस्तावित परियोजना के 52,781.45 वर्गमीटर क्षेत्र के लगभग 10,631.72 वर्गमीटर क्षेत्र में अर्थात् कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 20.14 प्रतिशत भाग को वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किया गया है। सितम्बर 2022 मानसून में प्रस्तावित परियोजना हेतु वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

6. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** :– स्थापित परियोजना हेतु जनित होने वाले गीले एवं ठोस अपशिष्टों का संग्रहण पृथक–पृथक बिन्स में किया जाता है तथा ठोस अपशिष्टों को नगर पालिक निगम को निपटान हेतु प्रदाय किया जाता है। उक्त व्यवस्था प्रस्तावित परियोजना के लिये भी प्रस्तावित है।

7. **सी.ई.आर. के संबंध में जानकारी** :– स्थापित परियोजना द्वारा सी.ई.आर. के तहत् नागार्जुन पी.जी. कॉलेज ऑफ साईंस, रायपुर, मिन्टू शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, डुमरतराई, रायपुर में रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित कराई गई है तथा उक्त शाला में ग्रिड सोलर पॉवर प्लांट एवं पोटेबल ड्रिंकिंग वॉटर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार सी.ई.आर. के तहत् परियोजना द्वारा रूपये 19,98,000/– व्यय किये जाने की जानकारी दी गई है, जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट शर्त (रूपये 19.97 लाख) से अधिक है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा, मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क (सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला –रायपुर (छ.ग.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 13.11.2019 में उल्लेखित शर्तों के पालन के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 21.12.2020 के माध्यम से जारी की गई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

8. **अन्य जानकारी** :– मौके में प्रस्तावित परियोजना के संबंध में लिये गये फोटोग्रॉफ की प्रतियाँ प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् परियोजना प्रस्तावक को भूमि के क्षेत्रफल में हुई त्रुटि बाबत् संशोधन कर नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने की अनुशंसा के साथ वस्तुस्थिति की जानकारी कृपया अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपसमिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को यथावत् वापस किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स का पालन करते हुये विधिवत् ऑनलाईन नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाए। नवीन आवेदन ऑनलाईन पर प्राप्त होने पर विधिवत् आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरण में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक सोनी), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1862)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69976/2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 800 घनमीटर (2,000 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष सोनी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

   समिति का मत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 09/07/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5528/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 26/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1442/क/ख.लि./न.क्र./2021 महासमुन्द, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – खनि अधिकारी, जिला–महासमुन्द, दिनांक 20/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री रोहित कुमार सिन्हा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 01/09/2006 को श्री अभिषेक सोनी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/07/2005 से 17/07/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। अवधि विस्तार के संबंध में खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अपील क्रमांक एफ 4–37/2019/12 के अनुसार अपीलार्थी श्री अभिषेक सोनी आत्मज श्री पी.एम.सोनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय, जिला–महासमुंद में गौण खनिज फर्शीपत्थर के उत्खनि पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति के संबंध में अपिलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/907/क/ख.लि./उ.प./न.क्र. 59/2015 महासमुंद, दिनांक 25/06/2021 के अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन दिनांक 23/03/2016 के नियम 38क (3) एवं (4) के तहत् उत्खनन पट्टो की अवधि विस्तारित किये जाने हेतु पूरक अनुबंध किये जाने के संबंध में संचालक एवं भौमिकी खनिकर्म, रायपुर पत्र क्रमांक 2903–29/ख.नि.4/न.क्र.05/2015 दिनांक 07/06/2016 के निर्देश में निहित 4.1 से 4.4 उत्खननपट्टो के प्रकरणों का निम्न कंडिकाओं अनुसार परीक्षण उपरांत ही उत्खननपट्टा की अवधि में वृद्धि निम्नानुसार शर्तो की पूर्ति के फलस्वरूप किया जावेगा:–

4.1 उत्खननपट्टाधारी द्वारा पट्टे के शर्तो एवं निबंधनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? उत्खननपट्टा विरूद्ध यदि कोई शर्त उल्लंघन के कारण, कारण बताओं नोटिस की कार्यवाही लंबित हो तो उक्त उल्लंघन के निराकरण पश्चात् ही पट्टा समयावधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाये।

4.2 छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51(6) के तहत् उत्खननपट्टा व्यपगत (लैप्स) की श्रेणी में नहीं आ रहा हो।

4.3 उत्खननपट्टे का उत्खनन योजना अनुमोदित हो तथा पर्यावरण सम्मति प्राप्त हो।

4.4 उत्खननपट्टाधारी पर किसी भी प्रकार का खनिज राजस्व बकाया न हो।

उपरोक्त शर्तो के आधार पर उत्खनिपट्टा लीज विस्तारीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाएगा" का उल्लेख है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ेना 200 मीटर एवं स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 200 मीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। महानदी 390 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 57,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 19,285 टन एवं रिकव्हरेबल 14,464 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,837
द्वितीय	1,837
तृतीय	1,837
चतुर्थ	1,837
पंचम	2,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	1,837
सप्तम	1,837
अष्टम	1,750
नवम	1,837
दशम	2,000

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 575 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 360 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 1,800

घनमीटर क्षेत्र उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1442/क/ख.लि./न.क्र./2021 महासमुन्द, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 14.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

   v. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA rport.

   vi. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.

   vii. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

   viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

   xi. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

   xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि विगत वर्षों में किए

गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 811/क/खनि./न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 20/06/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 01/07/2006 से 31/12/2006 तक	निरंक
2007	12
2008	16
2009	13
2010	158
2011	168
2012	201
2013	1,248
2014	400
2015	निरंक

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए तथा प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 आबंटित रेत खदानों के पर्यावरण स्वीकृति में सेमी मेकेनाईज्ड विधि (पोकलेन व जे.सी.बी.) द्वारा खनन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

छत्तीसगढ़ खनिज पट्टाधारी महासंघ, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 14/07/2022 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा आबंटित रेत खदानों के पर्यावरणीय स्वीकृति में सेमी मेकेनाईज्ड विधि (पोकलेन व जे.सी.बी.) द्वारा खनन करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आबंटित रेत खदानों में वर्तमान में सेमी मेकेनाईज्ड विधि से खनन की अनुमति नहीं दी जा रही है। सेमी मेकेनाईज्ड माईनिंग में पोकलेन और जे.सी.बी. मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती है।

2. भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट सस्टेनेबल सैण्ड माइनिंग फ्रेमवर्क 2016 में सतत रेत खनन की तकनीक को उल्लेखित किया गया है। साथ ही उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 34 में, स्ट्रीम आर्डर 4 एवं 5 की नदियों में स्वीकृत माईनिंग प्लान के आधार पर मेकेनाईज्ड माईनिंग की अनुमति दी जा सकती है। का उल्लेख है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पोकलेन/जे.सी.बी. द्वारा रेत खनन को अनुमति दी गई है, जबकि अन्य राज्यों (मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं बिहार) में नदी की चौड़ाई हमारे राज्य की नदी की चौड़ाई से कम है।

4. इसके अतिरिक्त एन.जी.टी. के प्रिंसिपल बेंच ने श्री गुरूप्रीत सिंह बग्गा बनाम भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य (ओरिजनल एपलीकेशन नम्बर 184 ऑफ 2013) के केस में यह ऑर्डर दिया गया था कि "The mining should be in a semi-mechanized and scientific manner or non-mechanized manner" इससे यह सिद्ध होता है कि सेमी मेकेनाईज्ड माईनिंग की अनुमति देने में पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। रेत खनन में सेमी मेकेनाईज्ड माईनिंग को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं दूसरे राज्यों की एस.ई.आई.ए.ए. ने सही माना है और इसकी अनुमति भी दी है।

5. एन.जी.टी. के प्रिंसिपल बेंच ने श्री अतुल अग्रवाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य (ओरिजनल एपलीकेशन नम्बर 66/2020(सीजेड)) के केस में यह निर्णय दिया गया था कि पट्टेदार को दो या उससे कम पोकलेन मशीन का इस्तेमाल करते हुये रेत खनन करना है एवं एन.जी.टी. ने यह भी आदेश दिया था कि इस शर्त को आगे सभी पर्यावरणीय स्वीकृति में जोड़ा जाए।

6. उक्त उदाहरणों के आधार पर अनुरोध किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी सेमी मेकेनाईज्ड माईनिंग की अनुमति दिया जाए। मैनुअल माईनिंग से पट्टाधारकों को गांव के स्थानीय नेताओं द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार होना

पड़ता है। सेमी मेकेनाईज्ड माईनिंग द्वारा रेत खनन को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खान मंत्रालय, एन.जी.टी., मध्यप्रदेश की एस.ई.आई.ए.ए. कमिटी, उत्तरप्रदेश की एस.ई.आई.ए.ए. कमिटी तथा बिहार की एस.ई.आई.ए.ए. कमिटी सभी ने सही माना है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेमी मेकेनाईज्ड माईनिंग अर्थात् रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाएगी (Manual excavation) एवं रेत खुदाई गड्ढों (Excavation pits) में प्राप्त रेत का परिवहन हल्के मशीनों से किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ खनिज पट्टाधारी महासंघ, जिला–रायपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–6 **रायपुर जिले में कार्यरत गौण खनिज चूना पत्थर खदानों का पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के उल्लंघन की जानकारी के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

श्री राजेन्द्र प्रसाद बंजारे, ग्राम–तुलसी–बाराडेरा, तहसील व जिला–रायपुर द्वारा ई–मेल दिनांक 17/05/2022 के माध्यम से रायपुर जिले में कार्यरत चूना पत्थर (गौण खनिज) खदानों का पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के उल्लंघन की जानकारी के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. रायपुर जिले में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदानों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति की महत्वपूर्ण शर्तों में एक है कि खदान की लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन कार्य करना होता है एवं लीज क्षेत्र में माईनिंग प्लान में दिखाये गये सीमा में बताये गये को–आर्डिनेट्स में सीमा स्तम्भ लगाना है।
2. किसी भी पट्टेधारी ने लीज क्षेत्र में माईनिंग प्लान में बताये गये को–आर्डिनेट्स में न तो सीमा स्तम्भ लगाये है और न ही 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन कार्य किये है। अपितु 7.5 मीटर की पूरी पट्टी में खनन भी कर लिया गया है और लीज सीमा से बाहर भी लगातार उत्खनन कार्य जारी है।
3. रायपुर जिले की समस्त गौण खनिज की खदानों का निरीक्षण कर जो पट्टेदार द्वारा उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के नियम विरूद्ध खनन कार्य कर रहे है, उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जाये।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत सूची में खदानों की संख्या अत्यधिक है। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उक्त सूची में उल्लेखित खदानों का समय–समय पर निरीक्षण कर जाँच कराया जाएगा। जाँच उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद बंजारे को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–7 **ऑनलाईन आवेदन के आधार पर पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति अवधि विस्तारण आवेदन कर पुनःविचार किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

श्री शिवलाल चक्रधारी, ग्राम–जोरातराई, मुढ़ीपार नवागांव खदान संघ, तहसील व जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 23/06/2022 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन के आधार पर पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति अवधि विस्तारण आवेदन कर पुनःविचार किये जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. आवेदकगणों द्वारा वर्ष 2013 के पूर्व की गौण खनिज की पर्यावरणीय स्वीकृति देने के विषय में आवेदकों द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से दिनांक 14/01/2019 को चाही गई मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में दिनांक 08/10/2020 को प्राप्त जानकारी को इस कार्यालय में विधिवत् जमा किया गया। आदेश में लेख है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु 2013 के पूर्व की खदानों को क्लस्टर की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. उक्त पत्र के विषय में आपके अधिकारियों द्वारा कहा गया कि दिनांक 08/10/2020 के पत्र की प्रति आवेदक अर्थात् श्री शिवलाल चक्रधारी के नाम पर है, जिसे हमें हमारे नाम व पते पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से हमारे विभाग में भिजवायें ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो।
3. हमारे अथक प्रयास के बाद आपके विभाग के नाम और पते पर उक्त पत्र भिजवाने में सफल हुए, जिसकी प्रति हमें भी प्राप्त हुई एवं हम पत्र द्वारा आवेदक के साथ 02/08/2021 वह संलग्न करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि विस्तारण हेतु पुनः आग्रह किया गया।
4. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर (छ.ग.) के द्वारा पुनः तीन बिंदुओं पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्पष्ट करने हेतु 28/09/2021 को पत्र लिखा गया। किन्तु उसके जवाब में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से कोई पत्र आया या नहीं उसकी जानकारी आज दिनांक तक नहीं है।
5. कलस्टर की गणना हेतु 01/07/2016 के नोटिफिकेशन में दी गई व्याख्या अनुसार 09/09/2013 के बाद की स्वीकृत खदानों को ही शामिल किया जाये। (चूंकि 01/07/2016 के नोटिफिकेशन में दिये गये कलस्टर की गणना हेतु लिए जाने वाले खदानों की व्याख्या में किसी भी आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया है।) साथ ही ई.आई.ए. 2020 (ड्राफ्ट) में भी इसे स्पष्ट किया गया है, एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से इस विषय जानकारी लेने पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्लस्टर की व्याख्या दिनांक 01/07/2016 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ही अर्थात् क्लस्टर की गणना हेतु केवल 09/09/2013 के बाद सदृश्य खनिजों की खदान को ही लिया जाना है।
6. समस्त पट्टाधारक द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन तीन बिन्दु का स्पष्टीकरण फोन अथवा ई–मेल के माध्यम से मांग कर अथवा हमारे द्वारा दिनांक 08/10/2020 का पत्र एवं आपको सीधे प्राप्त पत्र दिनांक 26/07/2021 के पत्र के आधार पर स्पष्ट निर्णय लेकर हमें पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि विस्तारण करने की कृपा करें ताकि हम व हमारे द्वारा नियोजित कर्मचारियों की रोजी रोटी चल सकें। हमारे गौण खनिज की छोटी–छोटी खदानें है, जिसमें सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1505/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत गौण खनिज प्रकरणों में दिनांक 09/09/2013 के पूर्व अनुदत्त उत्खनन पट्टों को क्लस्टर में शामिल करने अथवा नहीं करने तथा ऐसे पट्टों हेतु क्लस्टर के लिए निर्धारित प्रक्रिया/प्रावधान लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को स्मरण पत्र लेख किया जाए।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को स्मरण पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–8 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **मेसर्स मोहभट्ठा डोलोमाईट स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2054)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 275396/2022, दिनांक 28/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953/1, 953/2, 954, 958/2, 962, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977, 986/2, 930 एवं 931, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–94,335 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022 में किये गये अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री मनमोहन शर्मा), ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1854)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69941/2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक–5/2 एवं 5/20, कुल क्षेत्रफल–4.162 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,50,647 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र अनुसार आवेदित प्रकरण को ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 09/12/2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों हेतु प्रेषित किये जाने वाले ई.डी.एस. में त्रुटि होने के कारण ऑनलाईन पत्र परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त नहीं हो पाया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 11/07/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में वांछित जानकारी दिनांक 11/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/07/2022 को इसी क्लस्टर के अन्य प्रकरणों की प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित प्रकरण के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया। अतः आवेदित प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। ताकि इसी क्लस्टर के अन्य प्रकरणों के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु संयुक्त लोक सुनवाई कराया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़